न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)

I.DNo-UP 5743

1–जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–822/2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–1893/2026

CNR UPLP 010043012026

राज आयु लगभग 20 वर्ष पुत्र हरिवंश निवासी ग्राम बंजरिया ग्रन्ट नं0–11, थाना–मैलानी, जिला–लखीमपुर खीरी।

बनाम

उ0प्र0राज्य

2–जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–836/2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–1923/2026

CNR UPLP 010044102026

1–जयपाल उम्र करीब 57 वर्ष पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम मोतीपुर ग्रन्ट नं0–10, थाना–मैलानी, जिला–लखीमपुर खीरी।

2–वीरपाल उम्र करीब 51 वर्ष पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम मोतीपुर ग्रन्ट नं0–10, थाना–मैलानी, जिला–लखीमपुर खीरी।

बनाम

उ0प्र0राज्य

मु0अपराध संख्या–83/2026
धारा 191(2), 191(3), 190, 326(F), 109(1), 310(2), 121(1), 132, 324(5), 61(2), 126(2) बी0एन0एस0, एवं 7 क्रि0ए0एक्ट, व धारा–3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, थाना–मैलानी, जिला लखीमपुर खीरी।

08.06.2026

1– उपरोक्त दोनो जमानत प्रार्थना पत्र एक ही मामले से संबंधित है, इसलिए दोनो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी/अभियुक्तगण राज, जयपाल व वीरपाल की ओर से मु0अपराध संख्या–83/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 326(F), 109(1), 310(2), 121(1), 132, 324(5), 61(2), 126(2) बी0एन0एस0, एवं 7 क्रि0ए0एक्ट, व धारा–3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, थाना मैलानी, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

3– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

4– संक्षिप्त अभियोजन कथनानुसार वादी मुकदमा बृजेश कुमार ने दिनांक 15.04.2026 को संबंधित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि दिनांक 14.04.2026 को वह मयहमराहीयान थाना हाजा से रवाना होकर बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की जयन्ती में भिन्न–भिन्न रैली व आयोजनों में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में मामूर होकर बाकेगंज पहुॅचा जरिये दूरभाष चौकी प्रभारी

उ0नि0 सन्तोष कुमार तिवारी से वार्ता के क्रम में कि ग्राम सभा बाकेगंज का मजरा मोतीपुर में विवादित स्थल पर बाबा साहब की मूर्ति बिना अनुमति के अचानक व जबरदस्ती रखने का प्रयास कर रहे है, सूचना पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये वादी मयहमराहीयान मौके पर पहुॅचा वहॉ इकट्ठा भीड़ से वार्ता कर समझा बुझा रहा था कि यह जगह विवादित भूमि है, अनुमति लेने के पश्चात ही मूर्ति रखे। मौके पर नायब तहसीलदार भानू प्रताप यादव मौजूद थे, जिनके द्वारा भी भीड़ को समझाया जा रहा था। भीड़ को बढ़ते देखकर अन्य थानों से पुलिस बल की मांग की गयी जो भिन्न भिन्न थानों से उपस्थित आये। इसी दौरान अकारण भीड़ उत्तेजित होकर पुलिस प्रशासन व प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी तथा उत्तेजित भीड़ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुये मौके पर तैनात पुलिस कर्मियो को जान से मारने की नीयत से लाठी डण्डों व ईंट गुम्मा के साथ पथराव करने लगी। भीड़ ने बाकेगंज कुकरा रोड को पूर्णतया जाम लगाकर रास्ता ठप कर दिया। अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया तथा बाजार के दुकानदार लोगों ने अपने अपने दुकानों के शटर बन्द कर दिये, परिवहन पूरी तरफ से ठप हो गया, आसपास की जनता में भय व्याप्त हो गया तथा लोक व्यवस्था भंग हो गयी। घटना में पुलिसकर्मी 1–उ0नि0 जितेन्द्र सिंह यादव चौकी प्रभारी संसारपुर, थाना–मैलानी, 2–उ0नि0 अवनीश पंवार चौकी प्रभारी कुकरा थाना मैलानी, 3–उ0नि0 विजेन्द्र पाल गंगवार थाना मैलानी, 4–कां0 अरूण कुमार थाना मैलानी, 5–कां0 दीपक सोलंकी 6–कां0 परशुराम, 7–कां0 करन वर्मा, 8–म0कां0 सुनीता थाना मैलानी घायल हो गये, जिन्हें उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाकेगंज भिजवाया गया। भीड़ द्वारा उग्र होते हुये सरकारी गाड़ी संख्या यू0पी0 31जी 0531 टाटा सूमो को क्षतिग्रसत कर दिया, क्षेत्राधिकारी गोला की सरकारी गाड़ी संख्या–यू0पी0 70ए.जी. 4386 को क्षतिगस्त कर दिया व दो हेलमेट व सरकारी दस्तावेज उठा कर ले गये, सरकारी वाहन सं0–यू0पी0 32बी.जी. 7921 पी.आर.वी. 7921 को पूर्ण क्षतिग्रस्त कर दिया तथा विभिन्न प्राइवेट गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर पटल दिया गया तथा दो सरकारी गाड़ी संख्या–यू0पी0 31 जी. 0430 चौकी संसारपुर व गाड़ी संख्या–यू0पी0 31 जी. 0436 (नायब तहसीलदार की सरकारी गाड़ी) को पूर्णतया क्षतिग्रस्त कर किसी ज्वलनशील पदार्थ से आग लगा दिया और पुलिसकर्मियों को पकड़कर जान से मारने की नीयत से जल रही गाड़ियों में धकेलने का प्रयास किया गया। जलती गाड़ियों को बुझाने के लिये फायर सर्विस की गाड़ियों को मौके पर बुलाकर बुझवाया गया। घटना में सक्रिय रूप से शामिल उपद्रवियों में से कुल 19 को मौके पर उपलब्ध पुलिस बल के सहयोग से समय 20.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जिनसे नाम पूछने पर उन्होंने अपने नाम 1–जयपाल पुत्र स्व0 मूलचन्द्र, 2–अनुराग पुत्र छोटेलाल, 3–रजनीश पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद, 4–वीरपाल पुत्र स्व0 मूलचन्द्र, 5–सूर्य प्रसाद उर्फ सूरज, 6–सुनील कुमार पुत्र लल्लूराम, 7–पंकज पुत्र चंतराम, 8–लल्लूराम पुत्र इतवारी, 9–रोहित पुत्र स्व0 शारदा प्रसाद, 10–अर्जुन कुमार पुत्र राम सिंह, 11–परमीत पुत्र रामसिंह, 12–आदित्य पुत्र कौशल किशोर, 13–अजीत कुमार पुत्र परशुराम, 14–राज पुत्र हरिवंश, 15–विमल कुमार पुत्र विश्राम, 16 हरीशंकर पुत्र रामप्रसाद, 17–अनांशु पुत्र अरविन्द, 18– नीरज पुत्र रामप्रसाद एवं 19 श्याम कुमार पुत्र कौशल किशोर बताये। गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार किया गया।

5– प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्होने कोई अपराध नहीं किया है। कथित घटना दिनांक 14.04.2026 की कही जाती है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.04.2026 को समय 05.39 बजे वादी मुकदमा द्वारा अंकित करायी जानी

कही जाती है, जो कि विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाये गये तथ्य असत्य है एवं कथित घटना से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है अभियुक्तगण को राजनीतिक रंजिश के कारण झूँठा फॅसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 15.04.2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी जमानत देने को तैयार है तथा मिली जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगे। उक्त आधारो पर जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

6— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर घातक आयुधो से सज्जित होकर बलवा किया गया, सरकारी गाड़ियों को जलाकर रिष्टि कारित की गयी, गाडियों में रखे दो हेलमेट, चार्जर व सरकारी दस्तावेज को लूटा गया एवं पुलिसकर्मियों को जान से मारने की नीयत से जल रही गाड़ियों में धकेलने का प्रयास किया गया। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

7— जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8— प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्तगण पर दिनांक 14.04.2026 को समय अदम तहरीर स्थान वहदग्राम मोतीपुर ग्रन्ट नं010, थाना—मैलानी जिला लखीमपुर खीरी में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर घातक आयुधों से सज्जित होकर बल्बा करने, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में पुलिसकर्मियों को जान से मारने की नीयत से जलती गाड़ियों में धकेलने का प्रयास करने एवं सरकारी गाड़ियों में रखे दो हेलमेट, चार्जर व सरकारी दस्तावेजों को लूटने, लोकसेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिये हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर स्वेच्छया उपहति कारित करने, पुलिसर्मियों का सदोष अवरोध करने के आपराधिक षड़यन्त्र करने का अभियोग है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना में पुलिसकर्मी 1—उ0नि0 जितेन्द्र सिंह यादव चौकी प्रभारी संसारपुर, थाना—मैलानी, 2—उ0नि0 अवनीश पंवार चौकी प्रभारी कुकरा थाना मैलानी, 3—उ0नि0 विजेन्द्र पाल गंगवार थाना मैलानी, 4—कां0 अरूण कुमार थाना मैलानी, 5—कां0 दीपक सोलंकी 6—कां0 परशुराम, 7—कां0 करन वर्मा, 8—म0कां0 सुनीता थाना मैलानी के घायल होने और उन्हें उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाकेगंज भिजवाये जाने का उल्लेख है।

मजरूब परशुराम यादम की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट केस डायरी के पर्चा सं0—3 के क्र0सं0—3 पर अंकित है, जिसमें मजरूब के शरीर के निचले भाग पर फटा हुआ घाव की चोट, मजरूब अरूण कुमार की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में उसके शरीर पर बाये कंधे पर पर नीलगू निशान की चोट एवं बहुसंख्यक नीलगू निशान दाहिने घुटने पर, मजरूब सरोज कुमार की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में उसके शरीर पर बाये पैर पर नीलगू निशान की चोट व निचले भाग में दर्द की शिकायत की चोट, मजरूब श्याम कुमार यादव की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में उसके शरीर पर दाहिने हाथ पर रगड़युक्त चोट, बायी मध्य उंगुली व रिंग उंगुली में चोट, मजरूब रामदयाल यादव की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में उसके शरीर पर एक चोट, मजरूब जितेन्द्र सिंह यादव की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में उसके

शरीर पर बाये कान पर फटे हुये घाव की चोट, बायी भुजा के निचले भाग में घर्षणयुक्त चोट, दाहिने पैर की उंगुली में खरोंच की चोट, बाये घुटने में दर्द की शिकायत की चोट अंकित पायी गयी।

विवेचक द्वारा मजरूबों का बयान अंकित किये गये, जो संलग्न केस डायरी है। मेरे द्वारा केस डायरी का अवलोकन किया गया। मजरूबों द्वारा अपने बयान में घटना का प्रथम दृष्टया समर्थन किया जाना परिलक्षित है।

केस डायरी के पर्चा सं0–2 के क्र0सं0–11 पर मजरूब उ0नि0 जितेन्द्र सिंह यादव ने अपने बयान अं0धारा–180 बी0एन0एस0 में अभिकथित किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसके सामने ही गाड़ियों में आग लगा दी। विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर घातक आयुधो से सज्जित होकर बल्वा कर सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों की सरकारी गाड़ियों को जलाने एवं पुलिसकर्मियों/लोकसेवको को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिये आपराधिक हमला करने का पर्याप्त साक्ष्य संकलित किया गया है। केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्तगण को इस मामले में झूॅठा फॅसाये जाने का कोई तथ्य, परिस्थिति एवं कारण परिलक्षित नहीं हो रहा है। दौरान विवेचना घटना के मजरूब उ0नि0 जितेन्द्र सिंह यादव के बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है। मामले की विवेचना प्रचलित है। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। मामले के सहअभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय निरस्त की जा चुकी है। अभियुक्तगण की भूमिका सहअभियुक्तगण से लघुतर नहीं है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

9– अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण राज, जयपाल व वीरपाल का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की एक–एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए। मूल जमानत आदेश जमानत प्रार्थना पत्र सं0–822/2026 पर व उसकी प्रति जमानत प्रार्थना पत्र सं0–836/2026 पर रखी जावे।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
08.06.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.10 15:21:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court